मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

# मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666171
फोन नं0–0522–2308502

ई मेल–lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/C-760 /2016–17 दिनाँक: 10 जून, 2016

सेवा में,

**समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,**
**उत्तर प्रदेश।**

**विषय–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत गरम पका–पकाया पौष्टिक भोजन के वितरण हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के चयन, टेण्डर/प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–541/79–6–15–27/2015 दिनांक 13.08.2015 के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक अध्ययनरत् राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, तहतानिया मदरसों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0)/ट्रस्ट के चयन संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए गए है जो कि वेबसाइट www.upmdm.org पर भी उपलब्ध है। शासनादेश के अनुसार स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के चयन हेतु प्रकाशित किये जाने वाली विज्ञप्ति के संबंध में निम्न निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य है:–

- शासनादेश में वर्णित चयन प्रकिया के बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित है कि स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन हेतु किन्ही दो पंजीकृत विस्तृत प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। निविदा सूचना जनपद की एन0आई0सी0 की वेबसाइट में भी प्रकाशित की जायेगी।
- विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु सुलभ संदर्भ के लिए प्रारूप संलग्न है। जिसका प्रकाशन सूचना विभाग द्वारा निर्धारित शासकीय डी0ए0वी0पी0 (DAVP) दर पर 8x10 से0मी0 ब्लैक एण्ड व्हाइट में प्रकाशित कराया जाएगा। जिसमें जनपद द्वारा अपने आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र/आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शासनादेश दिनांक 13.08.2015 के वर्णित व्यवस्था के दृष्टिगत स्वयं तथा वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग की सहायता से तैयार कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वितरित कराया जाएगा।
- रू0 2000/– (दो हजार) की नगद धनराशि (जो वापस नहीं किया जायेगा) देकर निविदा प्रपत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। प्राप्त धनराशि एम0एम0ई0 बैंक खाते में रखी जायेगी तथा विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने में होने वाले व्यय का वहन उक्त धनराशि से ही किया जाएगा।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

**(कुँवर डी0बी0बी0 सिंह)**
वित्त नियंत्रक

**पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**
**प्रतिलिपि**– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

**(कुँवर डी0बी0बी0 सिंह)**
वित्त नियंत्रक

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

# मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666171
फोन नं0–0522–2308502

ई मेल–lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

---

पत्रांक : म0भो0प्रा0/C-760 /2016–17 दिनाँक: 10 जून, 2016

सेवा में,

**समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,**
**उत्तर प्रदेश।**

**विषय–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत गरम पका–पकाया पौष्टिक भोजन के वितरण हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के चयन, टेण्डर/प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–541/79–6–15–27/2015 दिनांक 13.08.2015 के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक अध्ययनरत् राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, तहतानिया मदरसों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0)/ट्रस्ट के चयन संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए गए है जो कि वेबसाइट www.upmdm.org पर भी उपलब्ध है। शासनादेश के अनुसार स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के चयन हेतु प्रकाशित किये जाने वाली विज्ञप्ति के संबंध में निम्न निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य है:–

- शासनादेश में वर्णित चयन प्रकिया के बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित है कि स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन हेतु किन्ही दो पंजीकृत विस्तृत प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। निविदा सूचना जनपद की एन0आई0सी0 की वेबसाइट में भी प्रकाशित की जायेगी।
- विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु सुलभ संदर्भ के लिए प्रारूप संलग्न है। जिसका प्रकाशन सूचना विभाग द्वारा निर्धारित शासकीय डी0ए0वी0पी0 (DAVP) दर पर 8x10 से0मी0 ब्लैक एण्ड व्हाइट में प्रकाशित कराया जाएगा। जिसमें जनपद द्वारा अपने आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र/आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शासनादेश दिनांक 13.08.2015 के वर्णित व्यवस्था के दृष्टिगत स्वयं तथा वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग की सहायता से तैयार कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वितरित कराया जाएगा।
- रू0 2000/– (दो हजार) की नगद धनराशि (जो वापस नहीं किया जायेगा) देकर निविदा प्रपत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। प्राप्त धनराशि एम0एम0ई0 बैंक खाते में रखी जायेगी तथा विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने में होने वाले व्यय का वहन उक्त धनराशि से ही किया जाएगा।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीय,

**(कुँवर डी0बी0बी0 सिंह)**
वित्त नियंत्रक

**पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

**(कुँवर डी0बी0बी0 सिंह)**
वित्त नियंत्रक

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
## जनपद ..................

<u>स्वयं सेवी संस्था (एन0जी0ओ0)/ट्रस्ट के चयन संबंधी विज्ञप्ति</u>

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपद ......................... में कक्षा–1 से 8 तक अध्ययनरत् राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, तहतानिया मदरसों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन हेतु मध्यावकाश में निर्धारित मेन्यू के अनुरूप गरम पका–पकाया पौष्टिक भोजन का वितरण किये जाने के लिये अनुभवी एवं पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के चयन हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

| | | |
|---|---|---|
| कार्यालय से निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि | : | दिनांक ............ से .........तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे के मध्य। |
| निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि | : | दिनांक .................. समय मध्यान्ह 03:00 बजे तक। |
| निविदा प्रपत्र खोले जाने की एवं स्थान | : | दिनांक .................. समय सायं 03:00 बजे। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ..... |

विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र एवं जनपदीय एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

जिलाधिकारी,

......................